<u>कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और दंड संबंधी इग्नू के नियम और प्रक्रियाएँ (कार्यविधियाँ) 2008</u>

1. संक्षिप्त नाम

इन नियमों और कार्यविधियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और दंड संबंधी नियम और प्रक्रियाएँ (कार्यविधियाँ), 2008 कहा जाएगा। ये नियम और कार्यविधियाँ महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और दंड के लिए इग्नू की नीति (पॉलिसी), 2008 को लागू करने के लिए बनाए गए हैं।

2. परिभाषाएँ

(क) **शैक्षिक स्टाफ** में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और अन्य ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो इग्नू द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा/अनुदेश/मार्गदर्शन प्रदान करने अथवा इग्नू के किसी भी अध्ययन-पाठ्यक्रम की पढ़ाई में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए नामोदिष्ट (उल्लिखित) किए गए हों। इसमें विश्वविद्यालय के स्टाफ का ऐसा हर व्यक्ति शामिल है जो किसी शिक्षण और/अथवा अनुसंधान पद पर चाहे पूर्णकालिक रूप से, अस्थायी अथवा तदर्थ, अंशकालिक रूप से, अतिथि, अवैतनिक रूप से, परामर्शदाता अथवा विशेष ड्यूटी अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो। इसमें अनियत अथवा परियोजना आधार पर नियुक्त व्यक्ति भी शामिल हैं। **इग्नू से संबंधित किसी कॉलेज/केंद्र/संस्था के शैक्षिक स्टाफ में नियुक्त व्यक्ति भी उस स्थिति में इस नीति के अंतर्गत शामिल माने जाएँगे जब वे इग्नू से संबंधित कार्य कर रहे हों।**

(ख) **परिसर** में दिल्ली स्थित इग्नू के मुख्यालय पर सभी कार्यस्थल और आवास अथवा कोई भी क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र शामिल है जब इसका इस्तेमाल इग्नू की गतिविधियों के लिए किया जा रहा हो। इग्नू परिसर में मुख्यालय पर शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन के सभी स्थल एवं स्टाफ क्वाटर्स, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, खेल के मैदान, पार्क, सड़कें, गलियाँ और कैंटीन आदि शामिल हैं।

(ग) **प्रकोष्ठ** में इग्नू का प्रत्येक प्रकोष्ठ शामिल है।

(घ) **केंद्र** में इग्नू का प्रत्येक केंद्र शामिल है।

(ङ) **प्रभाग** में इग्नू का प्रत्येक प्रभाग शामिल है।

(च) **कर्मचारी** में वह व्यक्ति शामिल है जो किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो; चाहे उसकी नियुक्ति सीधे हुई हो अथवा किसी एजेंसी (ठेकेदार सहित) के माध्यम से, मुख्य नियोक्ता की जानकारी से अथवा जानकारी के बिना की गई हो; चाहे नियुक्ति पारिश्रमिक के लिए हो अथवा बिना अथवा पारिश्रमिक के स्वैच्छिक आधार पर कार्यरत हो; उसके रोजगार की शर्तें चाहे सीधे अभिव्यक्त हों अथवा अंतर्निहित। इसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जो अस्थायी, अनियत, बदली, उजरती (काम की मात्रा के अनुसार) दर अथवा ठेके का मज़दूर, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी, शिक्षु या अन्य किसी भी नाम से नियुक्त हो।

(छ) <u>**सदस्य में इग्नू के विद्यार्थी, कर्मचारी, शैक्षिक स्टाफ और शिक्षणेतर स्टाफ, अथवा प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत व्यक्ति जिसमें इग्नू के प्रबंध बोर्ड के सदस्य, शैक्षिक परिषद और योजना बोर्ड के सदस्य भी शामिल हैं। इसमें इग्नू से संबद्ध केंद्रों और सहभागी संस्थानों के कर्मचारी, शैक्षिक स्टाफ और शिक्षणेतर स्टाफ भी शामिल है पर केवल उस हद तक जब वे इग्नू से संबंधित कार्य कर रहे हैं।**</u>

(ज) **शिक्षणेतर स्टाफ** में विश्वविद्यालय के स्टाफ का अथवा विश्वविद्यालय के लिए काम कर रहा वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है, जो शैक्षिक स्टाफ की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इसमें प्रशासनिक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, अधिकारी, परामर्शदाता, सहायक स्टाफ, **इग्नू से संबंधित गतिविधियों में कार्यरत ठेके पर काम कर रहे श्रमिक (मजदूर) और इग्नू के दिहाड़ी पर काम कर रहे मजदूर शामिल हैं।**

(झ) **बाहरी व्यक्ति** में ऐसा हर व्यक्ति शामिल है जो विश्वविद्यालय का सदस्य अथवा निवासी नहीं है। इसमें इग्नू के सदस्यों को आवास, भोजन संबंधी अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने वाला अथवा इनके अलावा इग्नू में आने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति शामिल है।

(ञ) **सहभागी संस्थान** में वह संस्थान शामिल है जिसके साथ इग्नू अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई समझौता करता है।

(ट) **क्षेत्रीय केंद्र** में ऐसे केंद्र शामिल हैं जो इग्नू द्वारा किसी क्षेत्र में स्थापित अध्ययन केंद्रों के कार्य का सह-संचालन और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से और अन्य ऐसे कार्य करने के लिए जो इन केंद्रों को इग्नू के प्रबंध बोर्ड द्वारा सौंपे गए हैं, स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं।

(ठ) **क्षेत्रीय सेवा प्रभाग** में वह प्रभाग शामिल है जो सभी क्षेत्रीय केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय और अनुवीक्षण करता है।

(ड) **निवासी** में वह व्यक्ति शामिल है जो इग्नू द्वारा आबंटित किसी भी आवास अथवा परिक्षेत्र का अस्थायी अथवा स्थायी निवासी है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा मैदान गढ़ी परिसर, एशियन गेम्स विलेज परिसर, जे.एन.यू. में दिए गए आवासीय क्वार्टर अथवा अन्य वे आवास शामिल हैं जो विश्वविद्यालय ने अपने किसी कर्मचारी को मुख्यालय पर अथवा किसी क्षेत्रीय केंद्र और उनके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में प्रदान किए हैं। **इसमें इग्नू से संबंधित किसी केंद्र अथवा संस्था में रहने वाले व्यक्ति भी उस स्थिति तक शामिल होंगे जब वे इग्नू से संबंधित गतिविधियाँ कर रहे हों।**

(ढ) **विद्यापीठ** में इग्नू का कोई भी विद्यापीठ शामिल है।

(ण) **यौन उत्पीड़न** : निम्नलिखित आचार व्यवहार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दायरे में शामिल होंगे :

1. जब अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार जैसे कामुक हरकतें, कामुक अनुग्रहों का निवेदन, और कामुक ढंग के भाषाई अथवा शारीरिक आचरण को, सुस्पष्ट रूप से अथवा अव्यक्त रूप से अध्यापन /मार्गदर्शन, शिक्षा, रोजगार, सहभागिता अथवा इग्नू की किसी गतिविधि में महिला के मूल्यांकन की सीमा या शर्त बनाया जाए।

2. जब अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार -- जैसे कामुक हरकतें, शारीरिक और/अथवा शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण जैसे कामुक टिप्पणियाँ, फब्ती कसना, मज़ाक, पत्र, फोन करना, एस.एम.एस. अथवा ईमेल भेजना, अश्लील मुद्राएँ, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन, डरावने ढंग से घूरना, शारीरिक संपर्क, लुक छिप कर पीछा करना, अपमानजनक स्वरूप की ध्वनियाँ निकालना, अथवा प्रदर्शन करना - किसी महिला के कार्य या शैक्षिक निष्पादन में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य और/अथवा प्रभाव रखते हों अथवा रोजगार, शिक्षा अथवा जीवन संबंधी एक भयभीत करने वाला, प्रतिकूल अथवा आक्रामक परिवेश उत्पन्न करते हों। अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार में उपर्युक्त व्यवहार तो शामिल है किंतु यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

3. जब कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध शरीर को अथवा शरीर के किसी भाग को अथवा किसी वस्तु को शरीर के विस्तार के रूप में कामुक इरादे से प्रयुक्त करता है तो यह कामुक आक्रमण कहलाएगा।

स्पष्टीकरण :

(क) यह स्पष्ट किया जाता है कि यह यह महिला की युक्तियुक्त अनुभूति (बोध) के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा कि कोई आचरण कामुक इरादे से किया गया था और, यदि ऐसा था, तो यह आचरण अवांछित था अथवा नहीं और उस आचरण के लेकर उस महिला द्वारा उठाई गई आपत्ति उसकी शिक्षा या रोजगार के और साथ ही साथ मूल्यांकन, ग्रेडिंग (श्रेणीकरण), भर्ती अथवा पदोन्नति के संबंध में उसके लिए हानिकारक होगी, अथवा इससे कामकाजी, शैक्षिक अथवा जीवन परिवेश प्रतिकूल बनेगा।

(ख) "प्रतिकूल परिवेश" बनना तब कहा जाता है जब यौन उत्पीड़न का कोई आचरण किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप करने का इरादा या प्रभाव रखता हो अथवा शैक्षिक अथवा जीवन परिवेश को भयभीत करने वाला, प्रतिकूल या आक्रामक बनाता हो।

(त) **विद्यार्थी** में इग्नू का प्रत्येक विद्यार्थी और ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसने इग्नू के किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम को करने के लिए इग्नू में नामांकन कराया है।

(थ) **अध्ययन केंद्र** में वह प्रत्येक केंद्र शामिल है जो विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श देने के उद्देश्य से अथवा विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिए इग्नू द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा मान्यता प्राप्त हो। इसमें कार्यक्रम अध्ययन केंद्र और कार्य केंद्र भी जब वे इग्नू से संबंधित गतिविधियाँ कर रहे हैं शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं।

(द) **विश्वविद्यालय** से अभिप्राय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनयम, 1985 के अंतर्गत स्थापित किया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

(ध) **कुलपति (वी.सी.)** और **सम-कुलपति(यों)** में कुलपति और कोई एक या सभी सम-कुलपति शामिल हैं।

3. नीति (पॉलिसी) का विस्तार क्षेत्र (परिधि) और नियम एवं प्रक्रियाएँ(कार्यविधियाँ)

क्षेत्राधिकार

ये नियम एवं प्रक्रियाएं किसी महिला द्वारा किसी पुरूष के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों के संबंध में केवल तभी लागू होंगीः

(i) जब इग्नू की किसी महिला सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय के किसी पुरूष सदस्य के खिलाफ शिकायत की गई हो, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उत्पीड़न किस स्थान पर किए जाने का आरोप लगाया गया है।

(ii) जब इग्नू परिसर की निवासी किसी महिला द्वारा विश्वविद्यालय के पुरूष सदस्य के खिलाफ शिकायत की गई हो, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि यौन उत्पीड़न परिसर के अंदर या बाहर कहीं भी किए जाने का आरोप है।

(iii) जब किसी महिला सदस्य या परिसर निवासी द्वारा पुरुष निवासी के खिलाफ शिकायत की गई हो और यौन उत्पीड़न परिसर के अंदर ही किए जाने का आरोप हो।

(iv) जब किसी बाहरी महिला द्वारा विश्वविद्यालय के किसी पुरूष सदस्य के खिलाफ परिसर के अंदर यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया गया हो।

(v) तृतीय पक्षकार/बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के मामले में, पीड़ित महिला की सहमति से, विश्वविद्यालय तत्काल कदम उठा सकता है और उपयुक्त प्राधिकरण -- जिसके क्षेत्राधिकार में वह अपराध आता हो -- में शिकायत दर्ज करके कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। तत्पश्चात विश्वविद्यालय और समिति शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

4. इग्नू के सामान्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व

(क) इग्नू महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करेगा और यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण भी करेगा।

(ख) यौन उत्पीड़न की रोकथाम और प्रतिषेध हेतु नीति बनाएगा और सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

(ग) सभी सदस्यों को यौन उत्पीड़न की परिभाषा से और शिकायत के निवारण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दकने और जागरूक बनाए रखने के लिए सकारात्मक ढंग से सक्रिय रहेगा।

(घ) सदस्यों को यौन उत्पीड़न के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।

(ङ) "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विविध स्थानों पर स्पष्ट रूप से नोटिस प्रदर्शित करेगा जिनमें शिकायत निवारण की उपयुक्त क्रियाविधि के बारे में जानकारी दी जाएगी और महिलाओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(च) इस नीति के अंतर्गत, यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की स्थापना के माध्यम से यौन उत्पीड़न के आचरण(णों) के निवारण के लिए कार्यवाहियों को प्रारंभ करना सुगम बनाएगा।

(छ) शिकायत को दर्ज कराने से शिकायतकर्ता के पद/नौकरी, वेतन/पदोन्नति, ग्रेड इत्यादि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस नीति के अंतर्गत किसी जाँच की विचाराधीनता के दौरान और यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत के अंतिम निर्णय तक विश्वविद्यालय शिकायतकर्ता/सहायक/गवाह की नौकरी/अध्ययन की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा जो शिकायत दर्ज कराने, इस नीति के अंतर्गत जाँच में सहभागिता अथवा जाँच जारी रखने के परिणाम के रूप मे उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(ज) इग्नू यह सुनिश्चित करेगा कि यौन उत्पीड़न विरोधी प्रत्येक समिति को एक कमरा, सचिवालयी स्टाफ, एक योग्यता प्राप्त परामर्शदाता और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं ताकि समितियाँ अपने कार्यों का प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।

(झ) शिकायत का निवारण करने के संबंध में समिति सदस्यों द्वारा किए गए खर्चों जैसे यात्रा भत्ता, सहयोजित सदस्यों को बैठक शुल्क आदि का वहन इग्नू को करना होगा।

(ञ) दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के परिसर में इग्नू को गोपनीय परामर्श और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा। इस सुविधा के प्रावधान के बारे में भली-भांति प्रचार किया जाएगा। इस उद्देश्य से इग्नू व्यावसायिक रूप से सक्षम परामर्शदाता नियुक्त करेगा।

5. शिकायत क्रियाविधि और इसके कार्यों का क्षेत्र विस्तार

समितियों का गठन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

i) इग्नू में शिकायत और निवारण क्रियाविधि निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई है :

(क) इग्नू के देश भर में प्रसार और संरचना को देखते हुए शिकायत निवारण क्रियाविधि को विकेंद्रित करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिकायत क्रियाविधि सभी के लिए सुगम्य और प्रभावी है। इसी के अनुसार विभिन्न स्तरों पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध अलग-अलग समितियाँ उपलब्ध कराई गई हैं जो शिकायत समिति के रूप में काम करेंगी।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यौन उत्पीड़न विरोधी समितियाँ जेन्डर (स्त्री/पुरूष) संवेदी हैं विभिन्न श्रेणियों से सदस्यों एवं प्रतिनिधियों को लिया जाएगा।

(ग) यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच के लिए स्वायत्त संस्थागत ढाँचा प्रदान करने के लिए, प्रत्येक समिति में इग्नू से बाहर के ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाएगा जो महिला अधिकारों के मुद्दों में योगदान देने के लिए विख्यात हैं।

(घ) समितियों के प्रतिनिधि बनाने के लिए, विश्वविद्यालय के सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी को समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ङ) सर्वोच्च न्यायालय के 1977 के निर्णय के अनुसार प्रत्येक समिति में महिला अध्यक्ष का होना अनिवार्य है।

(च) समिति के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

(छ) यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के सभी सदस्यों को तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए।

(ज) यदि शिकायत जाँच समिति में प्रतिवादी की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य इग्नू के सोपानक्रम (hierarchy) में प्रतिवादी से कनिष्ठ है, तब उस विशेष जाँच के लिए समिति में दूसरे/दूसरी व्यक्ति को उस सदस्य की जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो प्रतिवादी से पद में वरिष्ठ होगा/होगी।

6. समितियों की स्थिति

(i) इग्नू की यौन उत्पीड़न विरोधी नीति को लागू करने के लिए इग्नू में निम्नलिखित समितियाँ गठित की जाएंगी :

- इग्नू के प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र पर यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय केंद्र समितियाँ (आर.सी.सी.ए.एस.एच.) (आरसीकैश)
- दिल्ली में यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय सेवा प्रभाग समिति (आर.एस.डी.सी.ए.एस.एच.) (आरएसडीकैश)
- इग्नू मुख्यालय में यौन उत्पीड़न विरोधी इग्नू समिति (आई.सी.ए.एस.एच.) (आईकैश)
- **इग्नू मुख्यालय में यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (ए.सी.ए.एस.एच.) (एकैश)**

(ii) इन सभी समितियों की सांविधिक हैसियत होगी और इन्हें इस नीति (पॉलिसी) का अधिदेश (mandate) लागू करने का अधिकार होने के साथ-साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करने का भी अधिकार होगा।

iii) मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य डब्ल्यू.पी.(सर्किल) सं. 173-177/1999 आदेश दिनांक 26.04.04 में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के अनुसार इस नीति के अंतर्गत विचारित और गठित की गई यौन उत्पीड़न विरोधी समिति केन्द्रीय सिविल सेवा(सी.सी.एस.) नियमों के उद्देश्यों हेतु जाँच प्राधिकरण मानी जाएगी और यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की रिपोर्ट सी.सी.एस.नियमों के अंतर्गत जाँच रिपोर्ट मानी जाएगी। अनुशासनिक प्राधिकारी यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की रिपोर्ट पर नियमों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

7. संरचना

नीति (पॉलिसी) का कार्यान्वयन निम्नलिखित संरचनाओं द्वारा पूरा किया जाएगाः

(i) **यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय केंद्र समिति (आर.सी.सी.ए.एस.एच.) (आरसीकैश)**
यह इग्नू के प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित किया जाने वाला शिकायत और निवारण निकाय होगा। क्षेत्रीय केंद्र और उस क्षेत्रीय केंद्र के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी अध्ययन केंद्रों पर प्राप्त की जाने वाली शिकायतों के ऊपर कार्यवाही इस समिति के अधिकार क्षेत्र में होगी।

इस समिति (आर.सी.सी.ए.एस.एच.) की अध्यक्ष अधिमान्य रूप से महिला होनी चाहिए। यदि क्षेत्रीय केंद्र में कोई उपयुक्त महिला सदस्य उपलब्ध नहीं हो तो, कोई बाह्य सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम करेगी।

(ii) **यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय सेवा प्रभाग समिति (आर.एस.डी.सी.ए.एस.एच.) (आरएसडीकैश)**
यह समिति एक अपीली और पर्यवेक्षी निकाय होगी और यह अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय केंद्र समितियों की देखरेख करेगी। यह सभी क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में इस पॉलिसी से संबंधित समस्त जागरूकता और रोकथाम संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाले निकाय के रूप में काम करेगी।

आरएसडीकैश किसी भी क्षेत्रीय केंद्र पर दर्ज की गई सभी शिकायतों के लिए अपीली निकाय के रूप में भी काम करेगी। तथापि, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग से संबंधित सभी शिकायतों की जाँच इग्नू यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा की जाएगी।

(iii) **इग्नू यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (आई.सी.ए.एस.एच.) (आईकैश)**
यह मुख्यालय पर स्थापित किया जाने वाला शिकायत और निवारण निकाय होगा जहाँ इग्नू की अनेक शैक्षिक, तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय गतिविधियाँ होती हैं। इग्नू मुख्यालय सहित क्षेत्रीय सेवा प्रभाग से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें इस इस समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी।

(iv) **यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (ए.सी.ए.एच.एच.) (एकैश)**
इग्नू मुख्यालय पर स्थित यह समिति इस नीति (पॉलिसी) से संबंधित समस्त जागरूकता, रोकथाम, और निवारण कार्यों के लिए मार्गदर्शी निकाय के रूप में काम करेगी।
यह शीर्ष समिति इग्नू यौन उत्पीड़न विरोधी समिति में दर्ज की गई सभी शिकायतों के लिए अपीली निकाय के रूप में काम करेगी।

विशेष कारणों हेतु कुलपति, इस नीति के अंतर्गत किसी भी शिकायत को जाँच के लिए सीधे ही यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति के पास भेज सकते हैं।

8. यौन उत्पीड़न विरोधी शिकायत समिति गठित करने की विधि एवं पद्धति

(i) क) **यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय केंद्र समिति (आसीकैश)**

इसमें निम्नलिखित श्रेणियों में से कुल पाँच सदस्य होंगे :

- दो सदस्य शैक्षिक स्टाफ से
- दो सदस्य शिक्षणेतर स्टाफ से जिनमें एक "अधिकारी" श्रेणी से और एक "अन्य स्टाफ" श्रेणी से होगा
- एक महिला सदस्य समिति द्वारा क्षेत्रीय केंद्र के बाहर से सह-योजित की जाएगी यह ऐसी महिला होनी चाहिए जिसका महिलाओं से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में योगदान हो।

(ख) **यौन उत्पीड़न विरोधी क्षेत्रीय केंद्र समिति (आरसीकैश) के गठन की प्रक्रिया**

क्षेत्रीय सेवा प्रभाग यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (आरएसडीकैश) द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र के लिए क्षेत्रीय केंद्र यौन उत्पीड़न विरोधी (आरसीकैश) समिति हेतु नामों के एक पैनल की सिफारिश की जाएगी और कुलपति उसको नामित करेंगे।

(ग) **पहली क्षेत्रीय केंद्र यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (आरसीकैश) के गठन की प्रक्रिया**

प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र में पहली बार गठित की जा रही आरसीकैश के लिए नामों के पैनल की सिफारिश क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के निदेशक द्वारा क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के शैक्षिक और शिक्षणेतर स्टाफ के साथ परामर्श करके की जाएगी और कुलपति द्वारा आरसीकैश के लिए नामित की जाएगी।

(ii) क) **क्षेत्रीय सेवा प्रभाग यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (आरएसडीकैश)**

इसका संघटन निम्नलिखित श्रेणियों में से कुल पाँच सदस्य ले कर किया जाएगा :

- दो सदस्य शैक्षिक स्टाफ से
- दो सदस्य शिक्षणेतर स्टाफ से जिनमें एक "अधिकारी" श्रेणी से और एक "अन्य स्टाफ" श्रेणी से होगा
- एक महिला सदस्य समिति द्वारा क्षेत्रीय केंद्र के बाहर से सह-योजित की जाएगी यह ऐसी महिला होनी चाहिए जिसका महिलाओं से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में योगदान हो।

(ख) **आरएसडीकैश के गठन की प्रक्रिया**

इस समिति के लिए नामों के पैनल की सिफारिश इग्नू यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (आईकैश) द्वारा की जाएगी और कुलपति द्वारा इसको नामित किया जाएगा।

(ग) **पहली आरएसडीकैश के गठन की प्रक्रिया**

पहली आरएसडीकैश के लिए नामों के पैनल की सिफारिश पिछली महिला यौन उत्पीड़न निवारण समिति (सी.पी.एस.एच.डब्ल्यू.) द्वारा की जाएगी और उसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

iii) क) **इग्नू यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (आईकैश)**

इस समिति में निम्नलिखित श्रेणियों से कुल 11 सदस्य होंगेः

- चार सदस्य शैक्षिक स्टाफ से

- चार सदस्य शिक्षणेतर स्टाफ जिनमें से दो "अधिकारी" श्रेणी में से और दो "अन्य स्टाफ" की श्रेणी में से लिए जाएंगे।
- एक आर.टी.ए./शोध छात्र - जो अधिमान्य रूप से महिला अध्ययन/जेंडर अध्ययन के अनुशासनों (विषयों) से हो।
- दो ऐसे महिला सदस्य जो महिलाओं के मुद्दों में योगदान देने के लिए विख्यात हों, समिति द्वारा इग्नू से बाहर से सह-योजित किए जाएंगे।

ख) **इग्नू यौन उत्पीड़न विरोधी समिति (आईकैश) के गठन की प्रक्रियाः**

शैक्षिक स्टाफ सदस्य : पदमुक्त होने वाली आईकैश शैक्षिक स्टाफ श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों की सिफ़ारिश करेगी जिनमें से कुलपति दो व्यक्तियों को आईकैश के लिए नामित करेंगे।
इग्नू अध्यापक संघ शैक्षिक स्टाफ श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगा जिनमें से कुलपति दो व्यक्तियों को आईकैश में नामित करेंगे।

शिक्षणेतर अधिकारी सदस्य : पदमुक्त हो रही आईकैश शिक्षणेतर अधिकारी श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों की सिफारिश करेगी जिनमें से कुलपति एक व्यक्ति को आईकैश के लिए नामित करेंगे।
अधिकारी संघ अधिकारी श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगा जिनमें से कुलपति एक व्यक्ति को आईकैश के लिए नामित करेंगे।

शिक्षणेतर अन्य स्टाफ सदस्य : शिक्षणेतर अन्य स्टाफ श्रेणी के लिए पदमुक्त हो रही आईकैश कम से कम तीन नामों की सिफारिश करेगी जिनमें से कुलपति आईकैश के लिए एक व्यक्ति को नामित करेंगे।
अन्य स्टाफ श्रेणी के लिए स्टाफ संघ कम से कम तीन नामों की सिफारिश करेगा जिनमें से कुलपति एक व्यक्ति को आईकैश में नामित करेंगे।

विद्यार्थी सदस्य : पदमुक्त हो रही आईकैश विद्यार्थी श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों के पेनल की सिफारिश करेगी जिनमें से कुलपति एक व्यक्ति को आईकैश के लिए नामित करेंगे।

बाहरी महिला विशेषज्ञ : पदमुक्त हो रही आईकैश बाहरी महिला विशेषज्ञ श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी जिसमें से कुलपति दो व्यक्तियों को आईकैश में नामित करेंगे।

ग) **प्रथम आईकैश के गठन की प्रक्रियाः**
इग्नू की पदमुक्त हो रही महिला यौन उत्पीड़न निवारण समिति (सी.पी.एस.एच.डब्ल्यू.) द्वारा पहली आईकैश के सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी के लिए नामों के एक पैनल (आवश्यक संख्या से कम से कम दो नाम अधिक) की सिफारिश की जाएगी। इनमें से कुलपति प्रत्येक श्रेणी के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य नामित करेंगे।

iv) क) **यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (एकैश)**

इनमें निम्नलिखित श्रेणियों से लिए गए कुल तीन सदस्य शामिल किए जाएंगे :

- एक शैक्षिक स्टाफ सदस्य
- एक शिक्षणेतर स्टाफ सदस्य
- एक ऐसी महिला जो महिलाओं के मुद्दों के बारे में योगदान देने के लिए विख्यात हो, समिति द्वारा इग्नू के बाहर से सहयोजित की जाएगी।

(ख) **यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (एकैश) के गठन की प्रक्रिया**

पदमुक्त हो रही सी.पी.एस.डब्ल्यू पूर्ववर्णित तीनों सदस्य श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी जिनमें से कुलपति प्रत्येक श्रेणी का एक व्यक्ति एकैश के लिए नामित करेंगे।

(ग) **पहली एकैश के गठन की प्रक्रिया**

इग्नू की पदमुक्त हो रही महिला यौन उत्पीड़न निवारण समिति (सी.पी.एस.एच.डब्ल्यू.) द्वारा एकैश के सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी के लिए कम से कम तीन नामों के पैनल की सिफारिश की जाएगी। इनमें से कुलपति एकैश के सदस्यों के रूप में उपर्युक्त तीन श्रेणियों में प्रत्येक से एक व्यक्ति को नामित करेंगे।

9. निरंतरता

क) यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों में निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पदमुक्त हो रही यौन उत्पीड़न विरोधी समिति अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 2 वर्ष की एक और अवधि के लिए उस समिति के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए नामित करेगी।

ख) समिति द्वारा बने रहने के लिए नामित सदस्य जिस श्रेणी से संबंधित हो उस श्रेणी का समिति में प्रतिनिधित्व तद्नुसार समायोजित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सदस्यों की किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व आवश्यकता से अधिक नहीं है।

ग) किसी भी हाल में समिति का कोई भी सदस्य दो अवधियों अर्थात् 4 वर्षों से अधिक नहीं बना रह सकता।

10. यौन उत्पीड़न विरोधी सभी समितियों की शक्ति और कर्तव्य

क) रोकथाम

लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता का प्रसार और समानता की स्थितियाँ बनाना

1) ऐसा परिवेश निर्मित करने के प्रयास करना जहाँ समानता, भेदभावहीनता और स्त्री-पुरूष दोनों के प्रति न्याय का संवर्धन हो।

2) ऐसा कार्य और अध्ययन संबंधी परिवेश निर्मित करने के प्रयासों को संवर्धित करना और सुगम बनाना जो महिला यौन उत्पीड़न से रहित हो।

3) यौन उत्पीड़न विरोधी नीति (पॉलिसी) को हिंदी, अंग्रेजी और उस क्षेत्र की भाषा में व्यापक रूप से प्रचारित करना जहाँ केंद्र स्थित हो। यह कार्य विशेष रूप से विवरणिका, कार्यक्रम दर्शिका अथवा अन्य उपयुक्त दस्तावेज द्वारा किया जाना चाहिए और इसको नोटिस बोर्डों, वेबसाइट, कार्यालयों और आवासीय क्षेत्रों आदि में दर्शाया जाना चाहिए।

4) यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (एकैश) मुख्यालय पर सुरक्षा कार्यालय के फोन नंबरों को प्रचारित (विज्ञापित) करेगी और चौबीसों घंटे सहायता की हेल्पलाइन बनाएगी जहाँ से फोन कॉलों को आईकैश द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के पास आगे भेजा जा सके।

5) प्रत्येक भर्ती/प्रवेश घोषणा में यह बताना आवश्यक होगा कि : इग्नू की यौन उत्पीड़न विरोधी एक नीति (पॉलिसी) है और इग्नू कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न रहित परिवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

6) कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, पोस्टरों, फिल्म प्रदर्शनों, वाद-विवादों आदि के माध्यम से इग्नू सदस्यों को लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करेगा। इन कार्यक्रमों को करने के लिए इग्नू विशिष्ट गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता प्राप्त करने की सूची तैयार कर सकता है।

7) नयी सेवा/रोजगार/परामर्श अथवा सभी केंद्रों पर इग्नू के किसी भी सदस्य के साथ काम का कोई अन्य ठेका देते समय भी यौन उत्पीड़न विरोधी नीति को ठेके में शामिल करना होगा।

8) जो पहले से ही सेवारत हैं उनसे भी इस नीति पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा।

9) शिकायत समिति अपने आप से ध्यान रखेगी कि परिसर में लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता है और स्त्री-पुरूष दोनों के प्रति न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के घोर उल्लंघन तो नहीं हो रहा।

ख) यौन उत्पीड़न विरोधी उपाय

जाँच-पड़ताल

1) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में की गई शिकायतों को प्राप्त करना और उन पर ध्यान देना।

2) इन शिकायतों की जाँच करना, जाँच परिणामों को संबंधित अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना और निर्धारित नियमों और कार्यविधियों के अनुसार उत्पीड़न के विरूद्ध दंडों की सिफारिश करना।

3) जाँच की विचाराधीनता के दौरान और शिकायत के अंतिम निर्णय तक शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि उत्पीड़क गवाहों अथवा शिकायतकर्ता को डराता अथवा परेशान करता है तो संबद्ध अधिकारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे उसे चेतावनी जारी करें, निलंबित करें या अन्य कोई आदेश करें।

4) यह सुनिश्चित करने के प्रयास करना कि शिकायतकर्ता और गवाहों को उस दौरान और अधिक परेशान नहीं किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए जब शिकायत की जाँच पड़ताल चल रही हो। समिति ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेगी जो शिकायतकर्ता अथवा समिति के सदस्यों को डराता, धमकाता हो। यह कार्यवाही प्रतिवादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति(यों) के खिलाफ नियंत्रक आदेश जारी करने के रूप में होगी।

5) शिकायतकर्ता की सहमति से चिकित्सीय, पुलिस और कानूनी मध्यस्थता पाने का प्रयास करना।

6) यदि शिकायतकर्ता चाहती है तो उसके लिए उपयुक्त कानूनी, मनोवैज्ञानिक/भावनात्मक और शारीरिक सहायता की व्यवस्था करना।

7) तृतीय पक्षकार/बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के मामले में, पीड़ित महिला की सहमति से, विश्वविद्यालय तत्काल कदम उठा सकता है और उपयुक्त प्राधिकरण - जिसके क्षेत्राधिकार में वह अपराध आता हो - में से शिकायत दर्ज करके कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। तत्पश्चात विश्वविद्यालय और समिति शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

11. यौन उत्पीड़न विरोधी सभी समितियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

क) समिति की अध्यक्ष (महिला) और सभी सदस्य सिफारिश किए गए पैनलों से कुलपति द्वारा नामित होंगे।

ख) समिति में विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों में से हर श्रेणी में कम से कम 50% महिला सदस्य होने चाहिए।

ग) प्रत्येक समिति की अवधि दो वर्ष होगी। तथापि नई समिति के गठित किए जाने तक पिछली समिति बनी रहेगी।

घ) किसी जाँच के विचाराधीन होने के दौरान यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की अवधि समाप्त होने की दशा में वह समिति उस शिकायत के प्रयोजनों हेतु इस नीति और सेवा नियमों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न विरोधी समिति तब तक एक वैध समिति मानी जाएगी जब तक यह अनुशासनिक प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देगी।

ङ) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत लंबित है या जिसे यौन उत्पीड़न/गंभीर कदाचार के लिए अपराधी पाया जाता हे, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध बनाई गई किसी भी समिति का सदस्य नियुक्त होने/चुने जाने या नामित अथवा मनोनीत होने या पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

च) कोई भी ऐसी शिकायत जिसमें प्रतिवादी संस्थान का अध्यक्ष हो, वहाँ उक्त शिकायत की जाँच-पड़ताल (पूछताछ) यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (एकैश) द्वारा की जाएगी।

12. शिकायतें दर्ज कराने की कार्यविधि (प्रक्रिया)

i) शिकायतें दर्ज कराने की कार्यविधि सुरक्षित, सुगम और संवेदनशील होनी चाहिए।

ii) सभी शिकायतें शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं आकर की जानी चाहिए।

निम्नलिखित अपवाद स्वीकार किए जाएंगे :

(क) व्यक्ति के बलात् परिरोध के मामलों में शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के मामले में समिति यह जाँच करेगी कि जाँच, हस्तक्षेप या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है या नहीं।

(ख) उन अपीलों के मामलों में, जहाँ अपीली निकाय स्थित है वहाँ तक शिकायतकर्ता को स्वयं यात्रा करके आ पाने में कठिनाई है।

(ग) अपवादी मामलों में, तृतीय पक्ष/साक्षी शिकायतकर्ता पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उत्पीड़ित महिला औपचारिक शिकायत दर्ज कराना चाहती है या नहीं। ऐसी शिकायत जब प्राप्त हो जाए तब समिति निर्धारित/विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।

(iii) यदि शिकायतकर्ता चाहे तो वह एक प्रतिनिधि साथ ला सकती है।

(iv) शिकायतें यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के किसी भी संबंद्ध सदस्य को सीधे दर्ज करायी जा सकती हैं या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों, शैक्षिक और गैर-शैक्षिक स्टाफ एसोसिएशन इत्यादि जैसे शिकायत दर्ज कराने के मौजूदा माध्यमों से शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं। यदि शिकायत ऐसे किसी माध्यम के जरिए से

की जाती है तो जिस व्यक्ति को शिकायत की गई है उसे शिकायत प्राप्त होने के दो कार्य-दिवसों के भीतर शिकायत की जानकारी समिति को देनी होगी।

(v) कुलपति द्वारा शिकायत सीधे यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (एकैश) को भेजी जा सकती है। तथापि, ऐसे मामले अपवाद होंगे और इन मामलों में, कुलपति ऐसा करने के कारणों का अभिलेखन करेंगे।

(vi) शिकायत मौखिक रूप से अथवा लिखित किसी भी रूप में की जा सकती है। यदि शिकायत मौखिक रूप से की जाती है तो शिकायत प्राप्त करने वाले परिवादी समिति सदस्य द्वारा इसे लिखित रूप में लेखबद्ध किया जाएगा और इस लिखित रूप को शिकायतकर्ता द्वारा यथास्थिति अपने दिनांकित हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान से अधिप्रमाणित करना होगा।

(vii) समिति के किसी भी सदस्य को की गई सभी शिकायतें सदस्य द्वारा प्राप्त व रिकार्ड की जाएँगी तथा शिकायत के संबंध में अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी फिर अध्यक्ष द्वारा समिति की बैठक बुलाई जाएगी।

(viii)समिति की सभी बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलायी जाएंगी और बैठक की सूचना कम से कम दो से पाँच कार्य-दिवस पहले दी जानी चाहिए।

(ix) शिकायत की प्राप्ति के दस दिन के भीतर, संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को यह निर्धारित करना होगा कि यौन उत्पीड़न का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। समिति शिकायत पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और समिति द्वारा पूछताछ (जाँच) समिति गठित की जाए या नहीं यह निर्धारित करने के लिए समिति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी और/या किसी अन्य संगत व्यक्ति का पक्ष सुनेगी। यदि समिति इस प्रारंभिक अवस्था में प्रतिवादी के पक्ष को सुनना जरूरी समझती है तो वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फार्म न. 1 में उसे नोटिस जारी करेगी (फार्म सं. 1 के रूप में संलग्न)

(x) यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तब आरसीकैश/आईकैश/एकैश पूछताछ समिति गठित करेंगी जिसमें कम से कम एक सदस्य शिकायतकर्ता का और एक सदस्य प्रतिवादी श्रेणी से होगा। इसमें कम से कम 50% महिलाएँ होनी चाहिए। इसमें कम से कम एक तृतीय पक्ष अर्थात् केंद्र/विश्वविद्यालय से बाहर से गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि होना चाहिए।

(xi) ऐसा कोई व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न का/की शिकायतकर्ता, गवाह या प्रतिवादी हो इस जाँच समिति का सदस्य नहीं होगा/होगी।

(xii) लिखित शिकायत में, यदि समिति के किसी भी सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप होगा तो उस आरोपी सदस्य को उस शिकायत की जाँच के दौरान सदस्य पद से हटना होगा।

(xiii) **यदि यौन उत्पीड़न विरोधी समिति शिकायत के लिए जाँच नहीं करने का निर्णय लेती है तो उसे समिति बैठक के कार्यवृत्त में इसके कारणों को दर्ज करना होगा और समिति को लिखित रूप में इन्हीं कारणों को शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराना होगा।**

13. जाँच समिति के कार्य

(क) जाँच समिति यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में जाँच करने के लिए नैसर्गिक न्याय और लैंगिक संवेदनशीलता के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी।

(ख) पूछताछ समिति यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के समक्ष विस्तृत सकारण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें जाँच की कार्यवाहियों, शिकायतकर्ता, प्रतिवादी, अन्य गवाहों के बयानों का विस्तृत ब्यौरा देगी, साक्ष्य पर विचार-

विमर्श करेगी, अपने निष्कर्षों और उनसे संबंधित तर्कों को प्रस्तुत करेगी और अनुशासनिक कार्यवाही के स्वरूप संबंधी सिफारिशों (यदि कोई हो तो) को प्रस्तुत करेगी।

14. जाँच समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) प्रक्रिया

(i) जाँच व पूछताछ कार्यवाहियों के दौरान शिकायतकर्ता और/या उनके गवाहों और प्रतिवादी को अलग-अलग बुलाया जाएगा ताकि वे भयमुक्त माहौल में आजादी से अपनी बात सामने रख सकें।

(ii) पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता को अपने साथ एक प्रतिनिधि लाने की अनुमति होगी।

(iii) जाँच समिति कम से कम समय में जाँच को पूरा करने का यथासंभव प्रयास करेगी। शिकायत मिलने की तिथि से तीन माह से अधिक का समय नहीं लिया जाएगा। जाँच पूरा करने में यदि तीन माह से ज्यादा लगते हैं तो पूछताछ समिति को इस विलंब के कारणों की जानकारी शिकायत समिति को लिखित रूप से देनी होगी।

(iv) शिकायत समिति द्वारा पूछताछ कार्यवाहियों के प्रारंभ करने के एक सप्ताह के भीतर जाँच समिति एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें शिकायत का सारांश - जैसे घटना घटित होने का स्थान, उसकी तिथि व समय होगा और इसे समिति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को देगी। प्रतिवादी को यह सारी जानकारी (सूचना) इस उद्देश्य के लिए बनाए गए फार्म-2 में दी जाएगी (फार्म नं. 2 के रूप में संलग्न) और इसके साथ इस नीति के नियमों और कार्यविधियों की प्रति भी संलग्न होगी। पूछताछ समिति प्रतिवादी को शिकायतकर्ता(ओं) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत(तों) की सही प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

(v) पूछताछ समिति को चाहिए कि प्रतिवादी पर लगाए गए आरोपों के महत्वपूर्ण ब्योरे उसे लिखित रूप में सूचित करे। प्रतिवादी को आरोप-पत्र का जवाब देने के लिए कम से कम 5 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

(vi) जाँच समिति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को अपने-अपने मामले को प्रस्तुत करने और स्वयं को बचाने के लिए यथोचित अवसर प्रदान करेगी।

(vii) जाँच की प्रथम सूचना प्राप्त होने के अधिक से अधिक पाँच कार्य दिवस के अंदर, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी जाँच समिति के संयोजक को उन गवाहों की सूची, साथ ही साथ उनके संपर्क संबंधी ब्यौरे लिखित में प्रस्तुत करेंगे जिनसे वह जाँच समिति द्वारा पूछताछ करवाना चाहते/चाहती हैं।

(viii) जाँच समिति के समक्ष अपने-अपने गवाह पेश/प्रस्तुत करने का दायित्व शिकायतकर्ता व प्रतिवादी को होगा। तथापि, यदि पूछताछ समिति विश्वास करती है कि विवादों के किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति के आधार वैध हैं तो पूछताछ समिति उस विशिष्ट बैठक को अधिकतम पाँच दिन तक के लिए स्थगित कर सकती है। इसके उपरांत यदि संबद्ध व्यक्ति बिना पूर्व सूचना/वैध आधार के उक्त स्थगित बैठक में उपस्थित नहीं होता/होती तो स्थगित बैठक कर ली जाएगी।

(ix) जाँच समिति यदि ऐसा करना न्याय के हित में समझती है तो किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए कह सकती है।

(x) जाँच समिति जिस शिकायत की जाँच कर रही है उससे संबंधित किसी भी आधिकारिक कागजात या दस्तावेज को मँगाने का अधिकार समिति को होगा।

(xi) जाँच समिति प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त किसी भी पिछली शिकायत को संगत मान सकती है। तथापि शिकायतकर्ता के पिछले यौन इतिहास की जाँच-पड़ताल नहीं की जाएगी क्योंकि ऐसी जानकारी यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में अप्रासंगिक मानी जाएगी।

(xii) जाँच समिति को अनुपूरक परिसाक्ष्य और/या स्पष्टीकरण के लिए प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और/या किसी गवाह को जितनी बार जरूरी हो उतनी बार बुलाने का अधिकार है।

(xiii) प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और गवाह के पूछताछ कार्यवाहियों की तिथि, समय और स्थान के विषय में लिखित रूप में कम से कम 72 घंटे पहले सूचित कर दिया जाएगा।

(xiv) बिना किसी वैध आधार के यदि प्रतिवादी लगातार तीन सुनवाइयों में पूछताछ समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो जाँच समिति को जाँच प्रक्रिया को समाप्त करने और शिकायत के संबंध में एकपक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा।

(xv) पूछताछ के स्थल का निर्धारण करते समय शिकायतकर्ता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(xvi) यदि शिकायतकर्ता, प्रतिवादी या गवाह पूछताछ समिति के समक्ष अपनी पसंद के किसी एक व्यक्ति के साथ उपस्थित होना चाहते हैं तो उन्हें पूछताछ समिति के संयोजक को उस व्यक्ति के नाम के बारे में सूचित करना होगा। ऐसा व्यक्ति मात्र प्रेक्षक की हैसियत से उपस्थित रहेगा और कार्यवाहियों के दौरान उसकी उपस्थिति उस व्यक्ति के परिसाक्ष्य तक सीमित होगी जिसके साथ वह आया है।

(xvii) शिकायतकर्ता और सभी गवाहों की पहचानों को पूछताछ समिति द्वारा सुरक्षित और गोपनीय रखा जाएगा।

(xviii) शिकायतकर्ता(ओं) और प्रतिवादी या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति को गवाहों के नामों और पहचानों को छोड़कर अभिलेखनों (रिर्काडिंग) की लिखित अनुलिपियों की जाँच-पड़ताल करने का अधिकार होगा। शिकायतकर्ता और/या प्रतिवादी की ओर से नामित व्यक्ति केवल वह हो सकता/सकती है जो इग्नू का/की ही सदस्य हो। यौन उत्पीड़न के अपराधी पाए गए व्यक्ति को नामिती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी यदि इस अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसे जाँच समिति को विशेष रूप से सूचित करना चाहिए। जाँच समिति निर्धारित तिथि - जो कि प्रत्येक संबद्ध पक्ष को कम से कम दो दिन पहले सूचित की जानी चाहिए, पर ऐसे दस्तावेजों को देखने की अनुमति दे सकती है। संबद्ध पक्ष इन दस्तावेजों को यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के कार्यालय से बाहर किसी भी हालत में नहीं ले जा सकते।

(xix) शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को सभी गवाहों के साथ प्रतिपरीक्षा (जिरह) करने का अधिकार होगा। तथापि ऐसी प्रतिपरीक्षा केवल पूछताछ समिति के माध्यम से लिखित प्रश्नों और उत्तरों के रूप में की जाएगी। प्रतिवादी को शिकायतकर्ता या उसके गवाह के साथ सीधे जिरह का अधिकार नहीं होगा।

(xx) प्रतिवादी/शिकायतकर्ता जो प्रश्न शिकायतकर्ता/गवाह से पूछना चाहता(ती) है उन प्रश्नों को लिखित सूची के रूप में पूछताछ समिति को प्रस्तुत कर सकता(ती)है। पूछताछ समिति यदि किसी प्रश्न(नों) को असंगत, शरारती(अनिष्टकारिक), निंदात्मक, अपमानपूर्ण या लैंगिक संवेदनशीलता के विरूद्ध पाती है

तो उस प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति न देने का अधिकार रखती है। प्रतिवादी या उसके नामिती की ओर से कोई मौखिक या अन्य ऐसा व्यवहार जो शिकायतकर्ता या उसके गवाह को मानसिक या शारीरिक आघात पहुँचाने के लक्ष्य या डराने-धमकाने के लिए किया जाता है, तो इस संबंध में समिति प्रतिवादी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है।

(xxi) जाँच समिति की सभी कार्यवाहियाँ लिखित रूप में रिकार्ड की जाएंगी। कार्यवाहियों और गवाहों के बयान के लिखित रिकॉर्ड को संबद्ध व्यक्तियों द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा ताकि उनकी प्रमाणिकता सुनिश्चित हो।

(xxii) पूछताछ समिति ने जिन व्यक्तियों के बयान लिए वे सभी तथा प्रेक्षक/नामिती शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की गरिमा की रक्षा के लिए कार्यवाहियों को गुप्त रखने की शपथ लेंगे व उसका अनुपालन करेंगे। गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने वाला दंड का अधिकारी होगा।
अपवादः शिकायकर्ता यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत को सार्वजनिक करना चाहती है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। यदि शिकायतकर्ता यौन उत्पीड़न समिति में शिकायत दर्ज करने से पहले इसे सार्वजनिक कर देती है तो इससे समिति के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार समिति को शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को पूछताछ पूरी होने तक शिकायत को सार्वजनिक न करना ही उचित होगा जब तक कि ऐसा करने के कोई बाध्यकारी कारण न हो।

(xxiii) पूछताछ समिति के सदस्य अपनी कार्यवाहियों की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

(xxiv) यदि शिकायतकर्ता प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज/कागज़ात प्रस्तुत करना चाहती है तो जाँच समिति प्रतिवादी को ऐसे दस्तावेजों की सही प्रति देगी। इसी तरह, यदि प्रतिवादी प्रमाण के रूप में किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करना चाहता है तो जाँच समिति शिकायतकर्ता को इसकी सही प्रति उपलब्ध कराएगी।

(xxv) उस स्थिति में जब पूछताछ समिति अनुपूरक परिसाक्ष्य की आवश्यकता महसूस करती है, जब जाँच समिति का/की संयोजक संबद्ध व्यक्ति को कार्यवाहियों का सारांश भेजेगा/गी और पूछताछ समिति के समक्ष ऐसा साक्ष्य स्वयं या लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसे सात दिन का समय देगी।

(xxvi) शिकायत समिति को किसी ऐसे नए तथ्य या प्रमाण का संज्ञान लेने से कोई नहीं रोक सकता जो जाँच कार्यवाहियों की विचारधीनता के दौरान उठा हो या समिति के समक्ष लाया गया हो। यदि उपयुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच-पड़ताल रिपोर्ट जमा कराने के पश्चात कोई नया तथ्य या प्रमाण यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के नोटिस में लाया जाता है तब फिर से गठित की गई पूछताछ समिति में पूछताछ समिति के कम से कम आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उक्त शिकायत की मूलतः जाँच की हो।

(xxvii) पूछताछ समिति यौन उत्पीड़न के गोपनीय, निजी और कपटपूर्ण स्वरूप के प्रति संवेदनशील होगी और ख्याल रखेगी कि अक्सर पीड़ित/अपमानित महिलाएँ प्रत्यक्ष या समर्थक प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ होती हैं।

(xxviii) पूछताछ समिति अपमानित महिला के चरित्र, व्यक्तिगत जीवन, आचरण, व्यक्तिगत और यौन (लैंगिक) इतिहास पर आधारित किसी साक्ष्य या छानबीन की अनुमति नहीं देगी।

(xxix) पूछताछ समिति प्रमाण का मूल्यांकन करते समय पक्षों की निजी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, उनके संगठन/कार्यस्थल में उनके सोपानक्रम, नियोक्ता-कर्मचारी समीकरणों और अन्य क्षमतापरक अंतरों को ध्यान में रखेगी।

(xxx) जब तक कि यौन उत्पीड़न का अभिकथित पीड़ित अपना प्रमाण मौखिक रूप से देने का विकल्प न दे जाँच समिति शिकायतकर्ता(ओं) को सूचित करेगी कि वे अपने साक्ष्य लिखित रूप में दे सकती हैं बशर्ते कि प्रतिवादी द्वारा इस साक्ष्य की जाँच-पड़ताल किए जाने के समय वह स्वयं उपलब्ध रहे।

(xxxi) पूछताछ समिति शिकायतकर्ता(ओं) को सूचित करेगी कि पूछताछ कार्यवाहियों में प्रतिपरीक्षा के दौरान वह संवेदनजशील प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दे सकती है।

(xxxii) यौन उत्पीड़न की शिकायत संबंधी जाँच और पूछताछ के दौरान प्राप्त सारी जानकारी संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा गोपनीय रखी जाएगी और इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी आवेदन के अनुसरण में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ई) के तहत ऐसी सूचना एक अपवाद मानी जाएगी क्योंकि वह यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा न्यासीय संबंध में रखी गई है और उसका प्रकट न किया जाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। इसके विपरीत ऐसी सूचना का प्रकटन किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह के जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इस नियम का एक अपवाद तब होगा जब शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्वयं सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करे।

(2) **जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी** : जाँच प्रारंभ होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर जाँच पूरी करके यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुति में किसी भी प्रकार के विलंब की स्थिति में उसके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

15. जाँच समिति के निष्कर्ष

(i) (क) जाँच समिति अपनी पूछताछ समाप्त करने के बाद इसके निष्कर्षों की विस्तृत और तर्कसंगत लिखित रिपोर्ट संगत यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। जाँच रिपोर्ट में प्रतिवादी पर लगाया गया/लगाए गए आरोप(पों) के दौरान दिए गए बयानों और प्रस्तुत किए गए प्रमाणों - जिन कारणों से जाँच समिति निष्कर्षों तक पहुँची उन कारणों का विस्तृत ब्यौरा देना होगा।

(ख) शिकायतकर्ता या प्रतिवादी दोनों के कार्य और व्यवहार संबंधी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी जो कथित यौन उत्पीड़न कृत्य से संबंधित नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, समिति प्रतिवादी के प्रति पहले के यौन उत्पीड़न की शिकायत को ध्यान में रख सकती है।

(ii) जाँच पूरी हो जाने पर उक्त समिति विस्तृत और तर्कसंगत आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित कर सकती हैः

(क) यदि जाँच समिति शिकायत में कोई गुण-दोष नहीं पाती है यानी शिकायत को निराधार पाती है तो वह अपने निष्कर्षों के कारण देते हुए यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में बताएगी। तब संबद्ध समिति उस शिकायत को खारिज कर सकती है जिस पर पूछताछ/जाँच की जा रही थी।

(ख) यदि जाँच समिति शिकायतों को संतुलित अथवा संभावित पाती है तो वह उसके विस्तृत और तर्कसंगत निष्कर्ष देगी।

(ग) यदि जाँच समिति प्रतिवादी को यौन उत्पीड़न का अपराधी पाती है तो वह उसके अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर और शिकायतकर्ता पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सुझाव देगी कि उस पर किस तरह की अनुशासनिक कार्यवाही की जाए। वह यह भी सुझाव देगी कि अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के बाद अनुशासनिक अधिकारी को अपराधी की पहचान, कदाचार और की गई अनुशासनिक कार्यवाही को सर्वज्ञात बनाया जाए या नहीं।

16. जाँच समिति की रिपोर्ट

(i) जाँच समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सिविल सेवाएँ नियम, 1964 या संबद्ध शैक्षिक संस्थान को शासित करने वाले नियमों के तहत जाँच रिपोर्ट मानी जाएगी।

(ii) जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के अध्यक्ष बैठक बुलाएंगे। यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के प्रत्येक सदस्य को पूरी पूछताछ व जाँच-पड़ताल कार्यवाहियों या उसके किसी हिस्से के बारे में जानने का अधिकार होगा। यौन उत्पीड़न विरोधी समिति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करेगी और जाँच समिति द्वारा यदि कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जानी हो तो उसके लिए सिफारिश करेगी। जाँच समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के दो कार्य दिवसों के अंदर यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की अध्यक्ष जाँच रिपोर्ट यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के सदस्यों की राय के सार के सहित कुलपति को भेजेंगें।

17. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

(i) रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों से असहमत है या उनमें कुछ परिवर्तन/संशोधन करना चाहते हैं तो लिखित कारण दर्ज करके वे ऐसा कर सकते हैं और यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को इस तथ्य की लिखित सूचना दे दी जाएगी।

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट की एक-एक प्रति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को देंगे।

(iii) तथापि अनुशासनिक प्राधिकारी प्रतिवादी को यौन उत्पीड़न विरोधी समिति के निष्कर्षों के सेवा नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप मौखिक या लिखित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात ही अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे।

(iv) अनुशासनिक प्राधिकारी **यौन उत्पीड़न विरोधी समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के एक माह के अंदर अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे।**

(v) इस नीति के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति इस भाग में वर्णित निर्णयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा।

18. अपील

(i) शिकायतकर्ता और प्रतिवादी यदि संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति या अनुशासनिक अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए अपील करने का उन्हें अधिकार होगा।

(ii) अपील निम्नलिखित के समक्ष होगी :

(क) आरसीकैश के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई आरएसडीकैश द्वारा की जाएगी।

(ख) आईकैश के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई एकैश करेगी।

19. शिकायत निवारण

(i) पूछताछ की विचाराधीनता के दौरान यदि अभिकथित उत्पीड़नकर्ता की शासकीय स्थिति से पूछताछ में बाधा आने की संभावना हो तो आरसीकैश/आईकैश/एकैश उस व्यक्ति के स्थानांतरण/निलंबन की माँग कर सकती है।

(ii) यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपराधकर्ता के स्थानांतरण या अपना स्थानांतरण मांगने का विकल्प होगा।

(iii) जाँच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर संस्था के अध्यक्ष उस रिपोर्ट को शासी निकाय अथवा अन्य किसी उपयुक्त निकाय के पास भेजेंगे और संबंधित यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।

(iv) अनुशासनिक कार्यवाही यौन उत्पीड़न के स्वरूप और प्रभाव के अनुरूप होगी।

20. दंड/सज़ा

1) शैक्षिक स्टाफ, गैर-शैक्षिक स्टाफ, विद्यार्थी, सेवा प्रदाता, निवासी सहित विश्वविद्यालय का कोई भी सदस्य यदि यौन उत्पीड़न का अपराधी/दोषी पाया जाता है उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

2) नीचे एक सूची दी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के दंड अथवा सजा का उल्लेख है। किंतु ये विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अन्य प्रकार के दंडो अथवा सजाओं पर विचार न करने को बाध्य नहीं करेगी। विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को शासित करने वाले नियमों के अनुरूप अन्य दंडों पर भी विचार किया जा सकता हैः

(क) शैक्षिक/प्रशासनिक/तकनीकी/गैर-शैक्षिक स्टाफ/प्रबंधन के मामले में आनुशासनिक कार्यवाही निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक रूपों में हो सकती हैः

i. चेतावनी
ii. लिखित माफी माँगना
iii. सदाचार के लिए बंध-पत्र
iv. लैंगिक संवेदनशीलता
v. परामर्श
vi. गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियाँ
vii. पर्यवेक्षी दायित्वों से विवर्जित(वंचित) करना
viii सांविधिक निकायों की सदस्यता से वंचित करना
ix. पुनःनियोजन का प्रत्याख्यान
x. कार्मिक वृद्धि/पदोन्नति रोकना
xi. प्रतिवर्तन, पदावनति

xii तबादला (स्थानांतरण)
xiii बर्खास्तगी
xiv आवासीय सुविधाएँ वापिस लेना और परिसर इत्यादि में प्रवेश पर रोक
xv. कोई अन्य संगत कार्रवाई

(ख) विद्यार्थियों के मामले में अनुशासनिक कार्यवाही निम्नलिखित रूप में हो सकती हैः

i. चेतावनी
ii. लिखित माफी माँगना
iii. सदाचार के लिए बंध-पत्र
iv. लैंगिक संवेदनशीलता
v. परामर्श
vi. होस्टल/परिसर में प्रवेश को विवर्जित करना
vii. परीक्षा परिणाम रोकना
viii. परीक्षाओं में बैठने से रोकना
ix. चुनाव लड़ने से रोकना
x. पद धारण करने से रोकना
xi. निष्कासन
xii. प्रवेश पर रोक
xiii. एक नियत समयावधि के लिए उत्पीड़नकर्ता को "अनभिमत व्यक्ति" घोषित करना
xiv. अन्य संगत कार्रवाई

(नोटः कार्यवाही के कारण लिखित रूप में देने होंगे। शिकायतकर्ता पर किसी भी तरीके के दबाव डालने का प्रयास करने वाले व्यक्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी)

(ग) तृतीयक पक्ष उत्पीड़न/बाह्य उत्पीड़न या सेवा प्रदाता द्वारा उत्पीड़न के मामले में केंद्र/विश्वविद्यालय प्राधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैंः

i. चेतावनी, फटकार या निंदा प्रस्ताव
ii. उसके शिक्षा, रोजगार स्थल या आवास में उसके कदाचार संबंधी पत्र भेजना
iii. उसके लिए परिसर की सीमा में प्रवेश न करने देने की घोषणा और/या इग्नू द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अध्ययन कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने पर रोक।
iv. परिसर में किसी भी वाणिज्यिक उद्यम को चलाने/उसके प्रबंधन या उसके कार्य करने या सेवाएँ प्रदान करने के अधिकार को वापिस लेना।
v. व्यक्ति को परामर्श लेने और लैंगिक संवेदनशीलता सीखने की सलाह तथा शिकायत के लिए लिखित और/या सार्वजनिक माफी माँगने की सलाह दी जा सकती है।
vi. कोई भी अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

3. **दुबारा अपराध के मामले में दंड**
यदि अपराध दुबारा किया गया है तो संबद्ध यौन उत्पीड़न विरोधी समिति की सिफारिश पर वर्धित दंड/सजा दी जा सकती है।

4. उपयुक्त मामलों में शिकायत निवारण या समाधान के गैर-प्रतिकूल(अनुकूल) तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। मौखिक चेतावनी, मौखिक माफी, सदाचार की प्रतिज्ञा, परामर्श इत्यादि इन तरीके के उदाहरण हो सकते है।

21. निगरानी और समीक्षा

1) आरसीकैश/आरएसडीकैश/आईकैश यौन उत्पीड़न विरोधी शीर्ष समिति (एकैश) को वार्षिक रिपोर्ट भेजगी जिसमें उसके द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत ब्यौरा होगा।

2) एकैश ने यौन उत्पीड़न की जिन शिकायतों का अनुवीक्षण किया उन सभी की संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्टें कुलपति को प्रस्तुत करेगी।

3) उपर्युक्त वर्णित वार्षिक रिपोर्टो में शिकायत और गवाह की गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा। ये रिपोर्ट केवल इग्नू और उसकी संबद्ध संस्थाओं को ही उपलब्ध होंगी।

4) एकैश/आरसीकैश/आरएसडीकैश/आईकैश के सभी सदस्यों से मिलने और समितियों की कार्य-प्रणाली संबंधी अनुभवों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार बैठक आयोजित करेगी।

22. नीति में संशोधन

नीति(पॉलिसी) लागू होने के अनुभव के आधार पर आरसीकैश/आरएसडीकैश/आईकैश को नीति/नियमों और प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए सुझाव देने का अधिकार होगा। एकैश सभी आरसीकैश/आरएसडीकैश/आईकैश के साथ समुचित परामर्श के बाद नीति की उद्देशिका और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक परिवर्तन करने के लिए कुलपति को सिफारिश कर सकती है।

23. जहाँ यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध की कोटि में आता हो:

जहाँ यौन उत्पीड़न आचरण भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) या किसी कानून के अंतर्गत विशिष्ट अपराध हो, वहाँ यौन उत्पीड़न विरोधी समिति का दायित्व होगा कि वह तत्काल शिकायतकर्ता को समुचित प्राधिकारी को कानून के अनुसार कार्यवाही आरंभ करने के उसके अधिकार से अवगत कराए और इसके संबंध में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करे।

इस तरह आरंभ की गई कोई भी कार्यवाही या कार्यवाहियाँ इस नीति के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों और/या आरंभ की गई कार्रवाई के अलावा होगी।

24. नेटवर्किंग

(क) यौन उत्पीड़न समितियाँ जागरूकता, अभिविन्यास, संवेदनशीलता और अन्य बचाव कार्य के संदर्भ में जब कभी जरूरत समझे इग्नू के जेंडर और विकास अध्ययन विद्यापीठ से संपर्क कर सकती हैं।

(ख) यदि जरूरी हो तो कुलपति, समकुलपति, विद्यापीठों और प्रभागों के निदेशकों, क्षेत्रीय निदेशकों और इसी तरह के अन्य समान प्राधिकारियों की सहायता ली जा सकती है।

(ग) पूर्णकालिक परामर्शदाता/सामाजिक कार्यकर्ता से सहायक स्टाफ के रूप में मदद ली जा ले सकती है।

(घ) तुरंत प्राथमिक सहायता, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए सहानुभूतिपरक कानूनी, मनोचिकित्सा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की निर्दिष्ट सहायता भी समिति को प्राप्त होनी चाहिए।

(ङ) उन्हें कानूनी सहायता केंद्रों, परामर्श केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस स्टेशनों, महिलाओं के विरुद्ध अपराध कक्षों (crime against women cells), शहर के महिला समूहों और राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनना चाहिए।

****